

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

पत्रांक:- 12/1 /: 12-1 : दिनांक: पौड़ी, अक्टूबर 20, 2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि०,
सतपुली (मु० कोटद्वार)।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कल्जीखाल ब्लॉक में सतपुली व्यासघाट टी०३ से बड़खोलू मोटर मार्ग सतपुली के निर्माण हेतु 0.885 है० वन भूमि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु डिमांड नोट निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 की पत्र सं०-1022/(1)/X-3-20/1(113)/2020, दिनांक 22-09-2020 एवं आपका पत्रांक 571/6 सी०, दिनांक 15-10-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं०-1022/(1)/X-3-20/1(113)/2020, दिनांक 22-09-2020 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं०-क-972/3-5-2, दिनांक 21.11.2017 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 की निर्धारित दरों पर रोड साईड वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं एन०पी०वी० की धनराशि का डिमांड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है:-

1- रोड साईड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण-

आरक्षित वन भूमि की लम्बाई	-	0.000 कि०मी०
वन पंचायत भूमि की लम्बाई	-	0.000 कि०मी०
सिविल सोयम वन भूमि लंबाई	-	0.750 कि०मी०
मोटर मार्ग की कुल लम्बाई	-	0.750 कि० मी०

रोड साईड वृक्षारोपण की दर प्रति कि०मी०	-	रु० 5,05,571.00
रोड साईड वृक्षारोपण हेतु धनराशि	-	रु० 0.750 कि.मी. x 5,05,571.00 = रु० 3,79,178.25 या रु० 3,79,178.00

(₹ तीन लाख उन्नासी हजार एक सौ अट्ठहत्ता) मात्र

2- एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

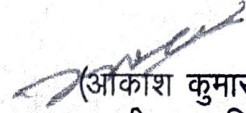
ईको क्लास	-	V th
हरियाली का घनत्व	-	0.1
एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	₹ 6,57,000.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	0.885 है०
एन०पी०वी० की धनराशि	-	0.885 X 6,57,000.00 = ₹ 5,81,445.50

(₹ पांच लाख ईक्कासी हजार चार सौ पैंतालीस) मात्र

P.T.O.

अतः उपरोक्तानुसार डिमाण्ड नोट आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,



(आकाश कुमार वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक

दिनांकित

1-प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3-प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।



(आकाश कुमार वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।